रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 1978/आषाढ़ 22, 1900
No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 1978/ASADHA 22, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1978

अधिसूचना

सा० का० नि० 358(अ):—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियम 1968, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"4 क. सिक्किम संवर्ग के प्रारम्भिक गठन पर उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता:

सिक्किम राज्य के संबंध में इन नियमों में दी गई किसी बात के बावजूद भी, राज्य संवर्ग के प्रारम्भिक गठन के समय उक्त सेवा में नियुक्त अधिकारियों के आवंटन का वर्ष तथा उनकी वरिष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित ढंग से निर्धारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सिक्किम राज्य वन सेवा के मूल सदस्यों में से चयन द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संबंध में।

आवंटन का वर्ष राज्य सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तदर्थ निर्धारित किया जाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार निर्धारित किया गया किसी अधिकारी का आवंटन वर्ष उसी वर्ष तक सीमित होगा जो सिक्किम राज्य वन सेवा में उसके ऐसे आसन्न वरिष्ठ अधिकारी को मिलता है जिसका चयन भारतीय वन सेवा के सिक्किम संवर्ग के प्रारम्भिक गठन के समय हो जाता है।

(ख) स्थानान्तरण पर सिक्किम संवर्ग में नियुक्त अन्य संवर्गों संयुक्त संवर्गों में आवंटित भारतीय वन सेवा अधिकारियों के संबंध में।

ऐसे अधिकारियों का आवंटन वर्ष उनका, मूल आवंटन वर्ष ही होगा तथा अपनी परस्पर वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए वे नियम 6 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।"

[सं० 16018/1/78-अ० भा० से० (5)]

आर०एल० अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 13th July, 1978

NOTIFICATION

G.S.R. 358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Regulation of seniority) Rules, 1968, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 4, the following rule shall be added, namely:—

"4A Seniority of officers appointed to the Service at the initial constitution of the Cadre of Sikkim :

Notwithstanding anything contained in these rules in relation to the State of Sikkim, the year of allotment and the seniority of officers appointed to the Service at the time of the initial constitution of the State cadre shall be determined by the Central Government in the following manner, namely :—

(a) In respect of officers appointed through selection from amongst the substantive members of the Sikkim State Forest Service :

The year of allotment shall be determined ad-hoc in consultation with the Union Public Service Commission and the State Government :

Provided that the year of allotment of an officer so arrived at shall be limited to the year to which his immediate senior in the Sikkim State Forest Service, who is selected to the Indian Forest Service Cadre of Sikkim at its initial constitution obtains.

(b) In respect of Indian Forest Service Officers borne on the cadres/Joint Cadres of other States, appointed to the Cadre of Sikkim on transfer: Officer shall retain their original year of allotment and for purpose of their inter-se-seniority they shall be governed by the provision of rule 6."

[No. 16018/1/78-AIS(IV)]

R. L. AGGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 359(अ):—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 के उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(6) सिक्किम राज्य के संबंध में इस नियम में इसके पहले दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रारम्भिक गठन पर राज्य संवर्ग में भर्ती ऐसी पद्धति द्वारा की जाएगी, जैसाकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार तथा आयोग के परामर्श से निर्धारित करे"।

[संख्या 16013/1/78-अ०भा०से०(4)

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Forest Service (Recruitment) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After sub-rule (5) of rule 4, the following sub-rule shall be added, namely :—

"(6) notwithstanding anything hereinbefore contained in this rule in relation to the State of Sikkim, recruitment to the State Cadre on its initial constitution shall be made by such method, as the Central Government may, after consultation with the State Government and the Commission prescribe."

[No. 16013/1/78-AIS(IV)]

सा० का० नि० 360(अ):—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951(1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनुसूची में "जम्मू तथा कश्मीर" शीर्षक के अधीन "उप वनपाल प्लांट हैन्ड्रीडक्शन डिवीजन" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उप वनपाल, अनुसंधान प्रभाग"

[सं० 16016/8/78-अ० भा०से०(4)-क]

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, under the heading, "Jammu and Kashmir" for the entry "Deputy Conservator of Forests, Plant Introduction Division", the following entry shall be substituted, namely :—

"Deputy Conservator of Forest, Research Division".

[No. 16016/8/78-AIS(IV)-A]

सा० का० नि० 361(अ):—भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन, नियम, 1978 है ।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के साथ संलग्न अनुसूची III में (1) जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित तालिका में उप शीर्षक "क-राज्य सरकार के अधीन समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पद में "उप वनपाल, प्लांट इन्ट्रोडक्शन प्रभाग" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"उप वनपाल, अनुसंधान प्रभाग" ।

[सं० 16016/8/78-अ० भा०से० (IV)—ख]

पी०एन० कोहली, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In Schedule III appended to the Indian Forest Service (pay) Rules, 1968 :—

(1) In the sub-heading "B. Posts carrying pay in the senior time scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale", in the table relating to Jammu and Kashmir, for the entry "Deputy Conservator of Forests, Plant Introduction Division" the following entry shall be substituted, namely :—

"Deputy Conservator of Forests, Research Division".

[No. 16016/8/78-AIS(IV)-B]

P. N. KOHLI, Desk Officer

सा० का० नि० 362(अ):—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में नियम 10 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

"10-क—सिक्किम राज्य में भारतीय वन सेवा के (प्रारम्भिक गठन) पर नियुक्त अधिकारियों के वेतन का नियतन :

सिक्किम राज्य के संबंध में इन नियमों में दी गई किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य संवर्ग के प्रारम्भिक गठन के समय भारतीय वन सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारियों का वेतन कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ वेतनमानों में ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित करे"।

[संख्या 16017/4/78-अ० भा०से० (IV)]

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules 1968, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Fifth Amendment, Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, after rule 10, the following shall be added, namely :—

"10A Fixation of pay of officers appointed to the Indian Forest Service at its initial constitution in the State of Sikkim.

Notwithstanding anything contained in these rules in relation to the State of Sikkim, the pay of the, officers appointed to the Indian Forest Service at the time of the initial constitution of the State Cadre shall be fixed in the junior or senior scales of pay in accordance with such principles as the Central Government may, in consultation with the State Government, determine."

[No. 16017/4/78-AIS(IV)]

R. L. AGGARWAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978